

CM की पत्नी के चुनावी प्रतिद्वंद्वी पर FIR से सत्ता के गलियारों का बढ़ा राजनीतिक तापमान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर देहरा विधानसभा क्षेत्र चर्चा के केंद्र में है। मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू की पत्नी और देहरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर के खिलाफ 2024 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे तथा दो बार निर्दलीय विधायक चुने गए होशियार सिंह चंब्याल के खिलाफ राज्य सत्कर्ता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामला विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।

एफआईआर दर्ज होते ही यह मामला कानूनी दायरे से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, क्योंकि होशियार सिंह वही नेता हैं जिन्होंने पहले निर्दलीय रहते हुए भाजपा का समर्थन किया, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया और बाद में भाजपा के टिकट पर मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा।

विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार शिकायत होशियार सिंह की एक कंपनी के कर्मचारियों की ओर से की गई थी, जो कथित लाभार्थियों में भी शामिल बताए गए हैं। प्रारंभिक जांच में बैंक रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज और लाभार्थियों के बयान दर्ज किए गए। जांच में यह सामने आने का दावा किया गया कि वर्ष 2023 और 2024 के दौरान विधायक ऐच्छिक निधि से कुछ लोगों के नाम पर आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई, जबकि संबंधित व्यक्तियों ने कथित रूप से कभी आवेदन ही नहीं किया था।

जांच एजेंसी का दावा है

कि लाभार्थियों ने बयान में कहा कि उनके खातों में राशि आने के बाद उसे नकद निकालकर पूर्व विधायक के निर्देश पर उन्हें वापस सौंप दिया गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यूरो ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत किसी और अपराध के संकेत मिलते हैं तो उनकी भी जांच की जाएगी।

हालांकि अभी तक यह केवल एफआईआर का चरण है और आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया तथा जांच पूरी होने के बाद ही होगी। होशियार सिंह की ओर से इस मामले में विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

लेकिन इस कारवाई की राजनीतिक टाइमिंग ने विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का अवसर भी दे दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विजिलेंस और गृह विभाग दोनों मुख्यमंत्री के पास हैं, इसलिए निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। वहीं सरकार और विजिलेंस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद दस्तावेजी जांच के आधार पर कारवाई की गई है और कानून सभी के लिए समान है।

होशियार सिंह पिछले एक दशक से देहरा की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। वर्ष 2017 और 2022 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। राजनीतिक गलियारों में उन्हें भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करीबी नेताओं में माना जाता रहा। 2024 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन

के पक्ष में मतदान किया था। उसी चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद सभी छह कांग्रेस विधायक और तीनों निर्दलीय विधायक अयोग्य घोषित कर दिए गए थे।

इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने होशियार सिंह को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया। उनके सामने मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर थीं। इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले में कमलेश ठाकुर को 32,737 वोट मिले जबकि होशियार सिंह को 28,823 वोट प्राप्त हुए और वे लगभग 3,900 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। चुनाव के दौरान होशियार सिंह और भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चुनाव प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए थे, जिन्हें

कांग्रेस ने खारिज किया था।

अब लगभग दो वर्ष बाद उन्हीं होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस की एफआईआर ने राजनीतिक माहौल को फिर गर्म कर दिया है। भाजपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बना सकती है, जबकि कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई के रूप में पेश कर सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहेगा। इसके असर भाजपा के भीतर जयराम ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल समर्थक माने जाने वाले नेताओं की रणनीति पर भी पड़ सकते हैं। होशियार सिंह लंबे समय तक जयराम खेमे के करीबी माने जाते रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के व्यक्तिगत संबंधों

शेष पृष्ठ 8 पर.....

जंतर-मंतर से उठी चिंगारी से संसद तक सियासी संग्राम

शिमला/शैल। दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। युवाओं और छात्रों का आंदोलन अब केवल धरना-प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि यह सरकार और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, बाहर हजारों प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हैं और भीतर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार की कार्यशैली, विपक्ष

की राजनीति और युवाओं की नाराजगी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी दल के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए है। उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार विवाद, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और जवाबदेही की कमी ने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। उनका कहना है कि सरकार बार-बार जांच और सुधार का भरोसा देती है, लेकिन जमीन पर हालात

नहीं बदलते। यही कारण है कि आंदोलन दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया।

केंद्र सरकार का दावा है कि युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से लिया जा रहा है और सुधार की प्रक्रिया जारी है। सरकार का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल इस आंदोलन को हवा देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। सरकार यह भी कह रही है कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसद की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा

सकता। यही वजह रही कि संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

यहीं से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा अवसर मिल गया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने आंदोलनकारियों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं

शेष पृष्ठ 8 पर.....

आत्मनिर्भर भारत के लिए उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने पर जोर:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल की अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के नए डिजिटल



आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य मजबूत, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नवाचार, अनुसंधान और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित यूनिवर्सिटी कोर्ट की 36वीं बैठक

स्टूडियो (एमओओसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो) का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह स्टूडियो गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा को अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि छात्रों को व्यावहारिक कौशल, नवाचार और उद्यमिता से भी जोड़ना चाहिए।

डेंटल कॉलेज शिमला का नाम होगा राजीव गांधी डेंटल कॉलेज

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि शिमला स्थित

हमीरपुर में बनेगा 300 करोड़ का रिसर्च सेंटर

मुख्यमंत्री शिमला में एसोसिएशन



डेंटल कॉलेज का नाम बदलकर राजीव गांधी डेंटल कॉलेज, शिमला किया जाएगा। इसके साथ ही हमीरपुर में 300 करोड़ रुपये की लागत से डेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा।

ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया (एओएमएसआई) के हिमाचल प्रदेश स्टेट चौप्टर के चौथे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए रिसर्च सेंटर से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और

कजाकिस्तान में आईटीआई प्रशिक्षुओं ने लिया आधुनिक उद्योगों का अनुभव

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के 30 प्रशिक्षुओं ने कजाकिस्तान के अल्माटी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और एलीना ग्रुप के औद्योगिक परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें आधुनिक तकनीक, औद्योगिक कार्यप्रणाली और वैश्विक विनिर्माण प्रणाली की जानकारी दी गई।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को विश्वस्तरीय तकनीकी शिक्षा, आधुनिक उद्योगों और

अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में तकनीकी कौशल, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक सोच विकसित करने में मदद करते हैं।

प्रशिक्षुओं ने विभिन्न शैक्षणिक सत्रों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, पेशेवर नैतिकता, प्रभावी संवाद, सतत इंजीनियरिंग, हरित तकनीक और इंडस्ट्री 4.0 जैसे विषयों पर विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की।

इसके बाद प्रशिक्षुओं ने एलीना ग्रुप के आधुनिक औद्योगिक संयंत्र

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी कोर्ट की बैठकें नियमित रूप से हर तीन महीने में आयोजित करने और लंबित ऑडिट आपत्तियों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों से एक-एक गांव गोद लेकर पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास में योगदान देने का भी आह्वान किया।

कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने विश्वविद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन एनर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिमालयी आपदा प्रबंधन और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। विधायक सुरेश कुमार को सर्वसम्मति से कार्यकारी परिषद का सदस्य चुना गया।

लोगों को आधुनिक दंत चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी, 3 टेस्ला एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि जल्द ही डेंटल डॉक्टरों के साथ भी बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि डेंटल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने हिमाचल के डॉक्टरों की सराहना करते हुए कहा कि वे देश-विदेश में अपनी प्रतिभा से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

का दौरा कर स्वचालित उत्पादन प्रणाली, गुणवत्ता परीक्षण, पैकेजिंग, औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को करीब से देखा।

कार्यक्रम के समापन पर अल्माटी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी प्रशिक्षुओं को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। साथ ही भारत और कजाकिस्तान के बीच तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने जतोग में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने शिमला के निकट जतोग छावनी में 'एक पेड़ मां के नाम' पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने छावनी परिसर में अराउकारिया का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दुनिया आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का सबसे प्रभावी समाधान अधिक से अधिक पौधे लगाना और पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' केवल पौधरोपण अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति और मानुष के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक जनआंदोलन है। जिस तरह मां जीवन देती है, उसी तरह पेड़ हमें स्वच्छ हवा, पानी, छाया और पर्यावरण संतुलन प्रदान करते हैं। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने

के साथ उनकी देखभाल करने की भी अपील की।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता से समृद्ध राज्य है। इसकी रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी एक पौधा गोद लेकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाए, ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना जरूरी है।

कार्यक्रम में प्रार्थना सोशल वेलफेयर सोसायटी, केंद्रीय विद्यालय जतोग, जतोग छावनी बोर्ड के प्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, छात्र-छात्राएं और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जेयआईटी के दीक्षांत समारोह में 2,244 विद्यार्थियों को डिग्रियां, मेधावियों को स्वर्ण पदक

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ

भलाई के लिए करें।

उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई),



इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जेयआईटी), वाकनाघाट के 7वें दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक और अन्य शैक्षणिक पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2,244 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक, एमएससी और पीएचडी की डिग्रियां दी गईं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करें और तकनीक का उपयोग समाज और मानवता की

डिजिटल इंडिया और इंडस्ट्री 4.0 के दौर में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही युवाओं से आपदा प्रबंधन, सतत कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं और हिमाचल की औषधीय जड़ी-बूटियों पर तकनीक आधारित शोध करने का आह्वान किया।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार देने वाले उद्यमी बनने की अपील की। कुलपति प्रो. आर.के. शर्मा ने विश्वविद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों की जानकारी दी। समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अभिभावक, पूर्व छात्र और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

एबीवीजीआईटी में शिक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एबीवीजीआईटी) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान की पढ़ाई, प्रशासन, शोध कार्य और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की।

डॉ. जैन ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई विंग के शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शोध और नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम किया जाना चाहिए।

बैठक में केंद्रीय पुस्तकालय में नई किताबें और डिजिटल संसाधन बढ़ाने, प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने और अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

(एआई) लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही छात्र कल्याण निधि का बेहतर उपयोग और शोध पत्रों के प्रकाशन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

प्रधान सचिव ने कहा कि विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण के जरिए व्यावहारिक अनुभव दिया जाए। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स, व्यक्तित्व विकास, नियमित मार्गदर्शन और टॉपर गैलरी जैसी पहल से छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने कक्षाओं के उन्नयन, खेल सुविधाओं के विस्तार, इनडोर जिम, हरित परिसर और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डॉ. जैन ने कहा कि संस्थान को उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाकर और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर तकनीकी शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

नौणी विश्वविद्यालय में बी.लिब. प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (यूएफएफ), नौणी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बी.लिब. एवं आई.एससी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 17 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

एक वर्ष अवधि का यह पाठ्यक्रम दो सेमेस्टर में संचालित होगा। इसमें 30 सीटें नियमित (रेगुलर) और 15 सीटें दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) के लिए निर्धारित हैं।

प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होना आवश्यक है। चयन मेरिट के आधार पर होगा, जिसमें 10+2 के अंकों को 40 प्रतिशत और स्नातक के अंकों को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

डिस्टेंस शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में 15 दिन की संपर्क कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के सत्यानंद स्टोक्स पुस्तकालय में 30 दिन की इंटरनशिप भी करनी होगी।

पूर्ण आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क

के बैंक ड्राफ्ट सहित 17 अगस्त तक विश्वविद्यालय में जमा किए जा सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट आधारित काउंसलिंग 22 अगस्त 2026 को नौणी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द लागू करेगी नई औद्योगिक नीति: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि

उन्होंने कहा कि हिमाचल पावर सरप्लस राज्य है और पंजाब को अगले

लागू होने के बाद राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों से मिलने वाला राजस्व काफी कम हो गया है, इसलिए सरकार नई परिस्थितियों के अनुसार औद्योगिक नीति में बदलाव कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन, बायोचार और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किन्नौर में जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना भी शुरू की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान भी हिमाचल पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। हालांकि उन्होंने लोगों से नदियों और खड्डों-नालों के पास न जाने की सलाह दी।

उन्होंने बताया कि चंडीगढ़-बढ़ी रेल लाइन पर काम चल रहा है और इसके अगले तीन वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार, नए हेलीपोर्ट और सभी जिला मुख्यालयों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आईटी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।



हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लागू करेगी। इस नीति के तहत उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्रदेश में अधिक निवेश आए और रोजगार के अवसर बढ़ें।

मुख्यमंत्री टीआईई चंडीगढ़ के 23वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेशकों से हिमाचल में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को हर संभव सुविधा और सहयोग दे रही है।

तीन वर्षों तक बिजली आपूर्ति के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) किया जाएगा। उन्होंने पंजाब को हिमाचल का बड़ा भाई बताते हुए कहा कि इससे दोनों राज्यों के संबंध और मजबूत होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सोलन के कंडाघाट में आईटी पार्क विकसित कर रही है। साथ ही डेटा स्टोरेज से जुड़ी सुविधाओं पर भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी

गरीब भूमिहीनों के अतिक्रमण मामलों में राहत के लिए बनेगी नीति: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे गरीब और भूमिहीन लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार नई नीति बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में करीब 19.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। साथ ही 50 लाख रुपये की लागत से बनी दुकानों और ग्रामीण हाट का उद्घाटन भी किया।

उन्होंने घोषणा की कि हमीरपुर में मौजूदा बस अड्डे की जगह लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सिटी सेंटर बनाया जाएगा। वहीं 130 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा भी

निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दे



रही है। मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनें, विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना जारी रहेगी, लेकिन इसमें हुई अनियमितताओं की जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नगर निगम हमीरपुर में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को पांच वर्ष तक करों में छूट दी

जाएगी। साथ ही रेहड़ी-फड़ी कारोबारियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

आठ अस्पतालों में लगेंगी नई एमआरआई मशीनें, पांच अस्पतालों में मिलेगी डिजिटल मैमोग्राफी सुविधा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश

ऊना, बिलासपुर, सोलन, किन्नौर, नाहन, धर्मशाला और पालमपुर के अस्पतालों में 1.5 टेस्ला एमआरआई



सरकार जिला अस्पतालों और सभी सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रही है, ताकि लोगों को घर के पास बेहतर इलाज मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल्लू,

मशीनें स्थापित की जाएंगी। वहीं सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि नाहन, हमीरपुर, बिलासपुर, धर्मशाला और सोलन के अस्पतालों में डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें

स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 42 हेडहेल्ड एक्स-रे मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 14 मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। इनका उपयोग विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में टीबी और अन्य बीमारियों की जांच के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चमियाना, आईजीएमसी शिमला, टांडा, हमीरपुर और नरचौक मेडिकल कॉलेजों में 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें भी लगाई जाएंगी। साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल एक्स-रे और 4डी अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े।

प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जल्द होगा किशाऊ परियोजना का एमओयू, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना के एमओयू प्रारूप की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परियोजना का समझौता जापन (एमओयू) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जल्द हस्ताक्षरित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों और अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में कोई पूंजीगत निवेश

नहीं करना होगा, जबकि राज्य को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि संशोधित समझौते के तहत सभी साझेदार राज्यों को बिजली और पानी में उनका वैध हिस्सा मिलेगा। साथ ही हिमाचल ने यमुना बेसिन में 378 मिलियन घन मीटर जल पर अपना अधिकार भी सुरक्षित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल के 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के लंबित बकाये को दिलाने के लिए भी प्रयास तेज कर रही है। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने ममलीग में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में ग्रीन पंचायत योजना के तहत 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना से प्रतिदिन करीब 3,000 यूनिट और सालाना लगभग 8 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से मिलने वाली आय का 25 प्रतिशत ग्राम पंचायत के विकास, 25 प्रतिशत अनाथों और विधवाओं के कल्याण, 20 प्रतिशत राज्य सरकार, 20 प्रतिशत हिमऊर्जा तथा 10 प्रतिशत संचालन एवं रखरखाव पर खर्च किया

जाएगा। इससे पंचायत को हर वर्ष लगभग 14 लाख रुपये की आय होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए भी अभियान चला रही है।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

मंडी मध्यस्थता योजना के बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत वर्ष 2022 से 2025 तक खरीदे गए सब्जियों के बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से बागवानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 बैग तक सब्जि बेचने वाले बागवानों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जबकि 100 बैग या उससे अधिक सब्जि बेचने वाले उत्पादकों को भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बागवानी मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) की नई वेबसाइट

और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब्जि खरीद, पंजीकरण, भुगतान और प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

बागवान आधार, भूमि और बैंक खाते की जानकारी देकर पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे तथा उपज बेचने के लिए ऑनलाइन समय स्लॉट भी बुक कर पाएंगे। खरीद और भुगतान से जुड़ी जानकारी उन्हें एसएमएस के माध्यम से मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद सीजन शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी की जाएं और संग्रहण केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाएं, ताकि बागवानों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में आयु सीमा बढ़ी, 23 जुलाई तक करें आवेदन

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना - 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है। अब 23 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवा इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने के लिए सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के

अवसर मिल सकें।

योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि 2 जून से 16 जून 2026 के बीच आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने सभी पात्र युवाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।

सच्ची नैतिकता प्रचलित रास्ते पर चलने में नहीं, बल्कि अपने लिए सच्चा मार्ग खोजने और निडरता से उसका अनुसरण करने में निहित है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

संसद के घेराव ने खड़े किए लोकतंत्र पर बड़े सवाल



भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संसद है। यही वह मंच है, जहां सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और विपक्ष जनता की आवाज उठाता है। लेकिन जब संसद के बाहर हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हों और संसद के भीतर लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही ही न चल पाये, तो यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं रहती। यह लोकतंत्र के सामने खड़े उस संकट की ओर इशारा करती है, जहां संवाद की जगह टकराव लेता जा रहा है।

मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद के बाहर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न संगठनों के लोग अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने संसद की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। कई जगह धक्का-मुक्की हुई, लोगों को हिरासत में लिया गया और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। यह दृश्य देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल बन गया है।

यह बात सही है कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन उतना ही बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि बड़ी संख्या में युवा और नागरिक अपनी बात संसद तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं? यदि लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सामान्य लोकतांत्रिक माध्यमों से नहीं सुनी जा रही, तो यह किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

संसद के भीतर विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग की। जवाब में सरकार ने विपक्ष पर कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। जिस संसद में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, वहां पूरा दिन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में निकलता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान उन करोड़ों नागरिकों का है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को संसद इसलिए भेजा है कि वे उनकी समस्याओं का समाधान निकालें।

आज की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सरकार और विपक्ष दोनों एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे रहते हैं, लेकिन जनता के मूल सवाल पीछे छूट जाते हैं। सरकार कहती है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से बचती है। लेकिन आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उसकी समस्याओं पर चर्चा कब होगी?

लोकतंत्र में विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की स्वतंत्रता देता है। इतिहास गवाह है कि देश में कई बड़े जनआंदोलनों ने सरकारों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर किया है। इसलिए किसी भी विरोध प्रदर्शन को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मान लेना उचित नहीं है।

संसद का बार-बार ठप होना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन यह सवाल संसद के भीतर प्रभावी बहस के माध्यम से अधिक मजबूत बनते हैं। यदि हर दिन कार्यवाही बाधित होगी, तो जनता के मुद्दों पर कानून कैसे बनेंगे? सरकार जवाब कैसे देगी? और लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? विरोध आवश्यक है, लेकिन समाधान उससे भी अधिक आवश्यक है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। क्या हमारे लोकतंत्र में संवाद की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है? जब सरकार जनता के असंतोष को केवल राजनीतिक विरोध मानने लगे और विपक्ष हर मुद्दे पर सदन को ठप करने की रणनीति अपनाए, तब लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व-संवाद-कमजोर पड़ जाता है। लोकतंत्र केवल बहुमत से सरकार बनाने का नाम नहीं है, बल्कि असहमति को सुनने और उसका सम्मान करने का भी नाम है।

देश का युवा आज रोजगार चाहता है, पारदर्शी भर्ती चाहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहता है और अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति चाहता है। किसान अपनी आय की चिंता कर रहा है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है और आम नागरिक बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं की उम्मीद कर रहा है। दुर्भाग्य यह है कि इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा अक्सर राजनीतिक शोर में दब जाती है। संसद का उद्देश्य यही है कि इन विषयों पर खुली बहस हो, लेकिन यदि संसद ही लगातार बाधित होती रहे, तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था अपनी भूमिका कैसे निभाएगी?

सरकार को यह समझना होगा कि यदि नागरिक अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो जरूरी है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए और समयबद्ध समाधान दिया जाए। वहीं विपक्ष को भी जनता ने केवल विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर विकल्प प्रस्तुत करने और संसद में प्रभावी बहस करने के लिए चुना है।

संसद का घेराव और संसद का ठप होना-दोनों ही स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं हैं। आज देश को ऐसी राजनीति की आवश्यकता है, जिसमें सरकार जवाब देने से न बचे, विपक्ष बहस से न भागे और जनता को अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतरने की नौबत न आये। लोकतंत्र की असली ताकत बैरिकेड, नारे और हंगामे में नहीं, बल्कि संवाद, जवाबदेही और संवेदनशील शासन में होती है।

आज जरूरत इस बात की है कि संसद फिर से जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा मंच बने। सरकार जनता की आवाज सुने, विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाए और राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर बहस हो। क्योंकि यदि संसद में संवाद खत्म हो गया, तो लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित रह जाएगा। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार वही होगी, जब जनता को यह लगने लगे कि उसकी आवाज संसद के भीतर नहीं, केवल संसद के बाहर ही सुनी जा सकती है।

आतंकवादी हिंसा को रोकने के लिए सबसे पहले चरमपंथ को तसल्ली से समझना होगा



गौतम चौधरी

आज दुनिया जिस सबसे जटिल संकट से जूझ रही है, वह केवल आतंकवाद या हिंसा का संकट नहीं है, वह विचारों के कट्टर हो जाने का संकट है। किसी भी हिंसक घटना के बाद समाज का ध्यान स्वाभाविक रूप से अपराधियों, हथियारों और सुरक्षा व्यवस्था पर जाता है लेकिन एक प्रश्न अक्सर अनुत्तरित रह जाता है-“आखिर वह कौन-सी मानसिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो एक सामान्य व्यक्ति को इस निष्कर्ष तक पहुंचा देती है कि हिंसा ही न्याय का रास्ता है?”

यहीं से चरमपंथ की वास्तविक चुनौती शुरू होती है। चरमपंथ किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता और न ही वह किसी एक धर्म, राजनीतिक विचारधारा या समुदाय तक सीमित है। इतिहास गवाह है कि धार्मिक कट्टरता, नस्लीय श्रेष्ठतावाद, उग्र राष्ट्रवाद, वैचारिक क्रांतिवाद और यहां तक कि कुछ राजनीतिक आंदोलनों ने भी अलग-अलग समय पर हिंसा को वैध ठहराने का प्रयास किया है। इसलिए समस्या किसी एक विचार की नहीं, बल्कि उस मानसिक संरचना की है जो असहमति को शत्रुता में बदल देती है।

चरमपंथ का पहला चरण दुनिया को दो हिस्सों में बाँटना है-‘हम’ और ‘वे’। जब समाज को केवल मित्र और शत्रु के द्वंद्व में देखना शुरू कर दिया जाता है, तब संवाद की जगह टकराव ले लेता है। विविधता बोज़ लगने लगती है और असहमति को अस्तित्व पर हमला मान लिया जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर पड़ने लगती है।

इसके बाद आता है पीड़ित होने का आख्याना। लगभग हर चरमपंथी विचारधारा अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाती है कि उनके साथ ऐतिहासिक या वर्तमान समय में इतना अन्याय हुआ है कि सामान्य लोकतांत्रिक उपाय अब पर्याप्त नहीं हैं। जब यह धारणा गहरी हो जाती है, तब प्रतिशोध को न्याय और हिंसा को कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। यहीं से नैतिक सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं।

डिजिटल युग ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम उपयोगकर्ता को अक्सर वही सामग्री दिखाते हैं जो उसकी पूर्वधारणाओं को पुष्ट करती है। परिणामस्वरूप व्यक्ति एक ऐसे डिजिटल घेरे में कैद हो सकता

है, जहाँ उसे केवल वही विचार सुनाई देते हैं जिनसे वह पहले से सहमत है। इस ‘इको चैंबर’ में तथ्य पीछे छूट जाते हैं और भावनाएँ निर्णयों पर हावी हो जाती हैं। गलत सूचनाएँ, षडयंत्र सिद्धांत और भड़काऊ प्रचार इस प्रक्रिया को और तेज़ कर देते हैं।

यह भी उतना ही सच है कि हर कट्टर विचार रखने वाला व्यक्ति हिंसक नहीं बनता। हिंसा तक पहुँचने के लिए वैचारिक कट्टरता के साथ सामाजिक अलगाव, पहचान का संकट, निरंतर प्रचार और कई बार व्यक्तिगत परिस्थितियाँ भी भूमिका निभाती हैं। इसलिए केवल दमन या निगरानी के उपाय इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते।

यही कारण है कि चरमपंथ के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार केवल कानून नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की बौद्धिक और नैतिक शक्ति है। ऐसी शिक्षा, जो प्रश्न पूछना सिखाए (ऐसा सार्वजनिक विमर्श, जो असहमति को स्थान दे (ऐसी मीडिया संस्कृति, जो सनसनी से अधिक सत्य को महत्व दे और ऐसा सामाजिक वातावरण, जिसमें युवा सम्मान, उद्देश्य और अपनापन महसूस करें-यही वे आधार हैं जिन पर हिंसा के विरुद्ध सबसे मजबूत दीवार खड़ी की जा सकती है।

भारत जैसे बहुलतावादी लोकतंत्र के लिए यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ विविधता कोई अपवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जीवन का स्वभाव है। यदि समाज का कोई भी वर्ग यह मानने लगे कि केवल उसका सत्य अंतिम है और शेष सब अस्वीकार्य हैं, तो लोकतंत्र की आत्मा ही कमजोर होने लगेगी। इसलिए चरमपंथ का मुकाबला किसी एक समूह के विरुद्ध अभियान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का सतत प्रयास होना चाहिए।

आज आवश्यकता केवल हिंसक घटनाओं की निंदा करने की नहीं, बल्कि उन वैचारिक, मनोवैज्ञानिक और डिजिटल प्रक्रियाओं को समझने की है जिनसे हिंसा जन्म लेती है। जब तक समाज चरमपंथ की जड़ों को नहीं पहचानेगा, तब तक वह उसकी शाखाएँ काटता रहेगा, लेकिन नई शाखाएँ फिर उगती रहेंगी।

किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सैन्य क्षमता नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को विवेक, संवाद और सह-अस्तित्व का संस्कार देने की क्षमता होती है। अंततः चरमपंथ का स्थायी उत्तर भय नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतन: दमन नहीं, बल्कि न्याय: और धृष्टता नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा में निहित है।

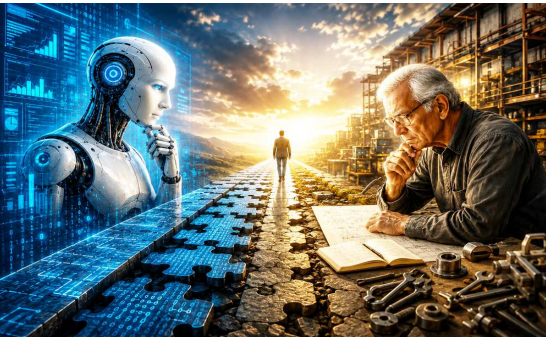
मुझे लगता है कि संपादकीय को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए इसका शीर्षक “चरमपंथ की जड़ें समझे बिना हिंसा नहीं रुकेगी” के बजाय “हिंसा से पहले विचार कटूट होते हैं” रखा जा सकता है। यह शीर्षक छोटा, स्मरणीय और संपादकीय शैली के अधिक अनुकूल है।

जहां एल्गोरिद्म रुक जाता है, वहां अनुभव शुरू होता है



डॉ नीलम महेन्द्र

हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्य
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित
ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने AI को
अपनाकर अपने कुछ कर्मचारियों को
हटा दिया था। लेकिन शीघ्र ही उसे AI
की सीमाओं के चलते होने वाले नुकसान
को देखते हुए उन्हें पुनः काम पर
रखना पड़ा। इसी प्रकार ग्राहक सेवा
क्षेत्र की एक नामी फिनटेक कंपनी
क्लार्नो को भी यह स्वीकार करना पड़ा



कि केवल AI आधारित संवाद ग्राहक
संतुष्टि का विकल्प नहीं बन सकता,
इसलिए उसे भी अपने संस्थान में
कर्मचारियों की संख्या फिर से बढ़ानी
पड़ी। ऐसे ही एक अन्य प्रमुख अमरीकी
IT कम्पनी IBM ने भी AI के साथ
अनुभव और विशेषज्ञता वाले कार्मिकों
की आवश्यकता को दोबारा रेखांकित
किया है। ये सभी कंपनियां बदलते
समय के साथ ताल से ताल मिलकर
अपने सिस्टम को AI आधारित बनाने
की ओर बढ़ रही थीं और अपने कर्मचारियों
को हटा के उनका काम AI से लेने
लगीं थीं। लेकिन इनकी शीघ्र ही अपने
कर्मचारी वापस बुलाने पड़े। ये वे घटनाएँ
हैं जो हमें AI पर हमारी बढ़ती निर्भरता
पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर
रही हैं।

ये घटनाएँ AI की विफलता की
सूचक नहीं हैं लेकिन हाँ इस भ्रम के
टूटने का संकेत अवश्य हैं कि AI
मानव का स्थान ले सकती है।

हम मनुष्यों ने सदियों तक मशीनें
इसलिए बनाई कि वे हमारा शारीरिक
श्रम कम कर सकें। लेकिन इतिहास में
पहली बार आज मशीनें बौद्धिक श्रम
भी कर रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता
(Artificial Intelligence) के इस दौर
ने हम सभी के सामने एक नया प्रश्न
खड़ा कर दिया है कि क्या मशीनें केवल
हमारा काम आसान करेगी, या एक
दिन हमारे अनुभव, निर्णय और विवेक
का भी स्थान ले लेगी?

दरअसल पिछले कुछ वर्षों में AI
को लेकर जितना उत्साह दिखाई दिया,
उतनी ही आशंकाएँ भी पैदा हुईं। एक
तरफ यह विज्ञान के चमत्कार के रूप
में देखा जा रहा था तो दूसरी तरफ
करोड़ों नौकरियों के अंत की शुरुआत
के रूप में। किंतु परिदृश्य लगातार
बदलता जा रहा है।

समय के साथ यह बात सामने
आ रही है कि आखिर AI की भी
सीमाएँ हैं। भले ही वह कुछ ही क्षणों में
करोड़ों दस्तावेजों का विश्लेषण कर
सकता है, पैटर्न पहचान सकता है,
संभावनाओं का अनुमान लगा सकता
है और मनुष्य से कहीं अधिक गति से
उत्तर दे सकता है। लेकिन मूलभूत
तथ्य यह है कि AI सोच नहीं सकता।

हाँ, वह गणना कर सकता है लेकिन
उसका प्रत्येक उत्तर उसी डेटा पर
आधारित होता है जिससे उसे प्रशिक्षित
किया गया है। यदि डेटा अधूरा, पक्षपाती
या त्रुटिपूर्ण है, तो वो परिणाम भी वैसा
ही देगी।

यहीं से अनुभव एवं डाटा तथा
तार्किक बुद्धि और तथ्यात्मक विश्लेषण
में समन्वय का महत्व रेखांकित होता है।

एक अनुभवी इंजीनियर मशीन
की हल्की-सी असामान्य आवाज़ सुनकर
आने वाली बड़ी खराबी का अनुमान
लगा सकता है। एक वरिष्ठ डॉक्टर
जाँच रिपोर्ट सामान्य होने के बावजूद
रोगी के शारीरिक लक्षणों एवं व्यवहार से
छिपी हुई बीमारी को उसके शुरुआती
स्टेज में ही पहचान सकता है। एक
संवेदनशील शिक्षक यह समझ लेता है
कि किसी छात्र की चुप्पी उसकी कमजोरी
नहीं उसके मानसिक संघर्ष का संकेत है। एक कुशल प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन
या बढ़ई वर्षों के अपने
अनुभव से ऐसी सूक्ष्म
त्रुटियाँ पकड़ लेता है
जिन्हें कोई मशीन
तुरंत नहीं पहचान
सकती। और यहीं AI
मनुष्य से पिछड़ जाती
है क्योंकि अनुभव वह
संपत्ति है जिसे
डाउनलोड नहीं किया
जा सकता।

क्योंकि ज्ञान अपने आप में तब
तक अधूरा है जब तक उसे व्यवहार में
न उतरा जाए। केवल युटुब के वीडियो
देखकर आप परफेक्ट आटा गूँथना या
रोटी बेलना या पेंटिंग करना नहीं सीख
सकते जब तक आप के पास अभ्यास
का अनुभव न हो।

AI और मनुष्य के बीच सबसे बड़ा
अंतर भी यही है।
AI डेटा देखता है, मनुष्य संदर्भ
समझता है
AI पैटर्न पहचानता है, मनुष्य
अपवाद पहचानता है।
AI संभावना बताता है, मनुष्य
जोखिम का आकलन करता है।
AI उत्तर देता है, मनुष्य निर्णय
लेता है।

और सबसे महत्वपूर्ण, AI अपने
निर्णय की नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता,
मनुष्य लेता है।
यही कारण है कि करुणा,
सहानुभूति, अंतर्ज्ञान, नैतिक विवेक और
उत्तरदायित्व आज भी किसी एल्गोरिद्म
में नहीं डाले जा सके हैं। AI कभी
अपराधबोध महसूस नहीं करता, वह
कभी दुविधा में नहीं पड़ता और न ही
किसी निर्णय के नैतिक परिणामों का
बोझ उठाता है। वह वही सीखता है जो
मनुष्य उसे सिखाता है। इसलिए AI की
गुणवत्ता अंततः मनुष्य की गुणवत्ता पर
ही निर्भर करती है।

अतः भविष्य में सबसे अधिक
मूल्य उन लोगों का होगा जिनके पास
गहरी विशेषज्ञता, व्यावहारिक अनुभव
और निर्णय क्षमता होगी ताकि वे AI
की सहायता से कार्य की गुणवत्ता को
सुधार सकें।

इतिहास गवाह है कि हर
तकनीकी क्रांति ने मनुष्य की क्षमता
बढ़ाई है, उसका महत्व कम नहीं किया।
भाप के इंजन ने श्रम को बदला, कंप्यूटर
ने गणना को बदला, इंटरनेट ने संचार
को बदला। AI भी काम करने के तरीके
बदलेगा, लेकिन वह अनुभव, विवेक
और मानवीय संवेदना का विकल्प नहीं
बन सकता।

क्योंकि जहाँ एल्गोरिद्म रुक जाता
है, वहीं से अनुभव अपना रास्ता बनाना
शुरू करता है।

हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र लिख रहे हैं विकास की नई इबारत

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की
विषम भौगोलिक और जलवायु संबंधी
प्रतिकूलताओं के कारण इन क्षेत्रों में
विकास संबंधी गतिविधियाँ चुनौतियों
से भरी रहती हैं। लाहौल-स्पीति,
किन्नौर, पांगी और भरमौर जैसे दुर्गम,
ऊँचाई वाले क्षेत्रों में कम आबादी,
कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और
लंबे समय तक रहने वाली बर्फबारी
विकास कार्यों तथा जनसेवाओं की
पहुँच को चुनौतीपूर्ण बनाती रही हैं।
वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र
सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार
ने जनजातीय विकास को सर्वोच्च
प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य,
आधारभूत संरचना, आजीविका,
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक
सुरक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ
हासिल की हैं।

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र राज्य
के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 42.49 प्रतिशत हिस्सा हैं जबकि यहां केवल 3.92 लाख लोग रहते हैं जो प्रदेश की कुल आबादी का 5.71 प्रतिशत हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व मात्र सात व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है जबकि प्रदेश का औसत 123 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने सभी स्थायी और मौसमी जनजातीय बस्तियों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण और सुरक्षित पेयजल सुविधा सुनिश्चित की है। जनजातीय क्षेत्रों का लिंगानुपात भी प्रति एक हजार पुरुषों पर 1,018 महिलाएँ हैं जो राज्य के औसत 972 से कहीं बेहतर है।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्रमत्ता प्रदान करते हुए सरकार हर वर्ष अपनी विकास योजनाओं के कुल बजट का नौ प्रतिशत हिस्सा ट्राइबल सब-प्लान (एसटीपी) के तहत निर्धारित करती है जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक है। वर्ष 2024-25 में एसटीपी के तहत 890.28 करोड़ रुपये और 2025-26 में 638.73 करोड़ रुपये अनुसूचित जनजाति घटक के लिए आवंटित किए गए हैं।

सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। वर्ष 2025-26 में 3,361 विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, 5,693 विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा 304 मेधावी छात्रों को मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की गई। प्रदेश में संचालित चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1,008 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहां के छात्र आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, आईआईएसईआर सहित देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में छात्रावास, पुस्तकालय और शिक्षकों के आवास जैसी सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार हुआ है। यहां दो जिला अस्पताल, छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 49 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 123 स्वास्थ्य उपकेंद्र सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा 568 आंगनवाड़ी केंद्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनसे 5,084 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि लाहौल-स्पीति और भरमौर में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना है। इन संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी आधुनिक जांच सुविधाओं,

दुर्गम क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को मिला नया संबल

अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षित नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता से दूरदराज के लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं घर-द्वार के निकट ही सुनिश्चित हो रही हैं।

सरकार जनजातीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 9,000 किंवदंल प्रमाणित बीज और 3,200 मीट्रिक टन उर्वरक लगभग 197.05 लाख रुपये की लागत से वितरित किए गए। पिछले तीन वर्षों में 815 जनजातीय युवाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 577 युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया या स्वयं

योजना के तहत निजी भूमि पर 100 किलोवाट से दो मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भी पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित कर एक नई पहल की गई है। पांच करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड और प्राकृतिक रूप से उगाई गई जौ के लिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य ने यहां रसायन-मुक्त और जलवायु-अनुकूल खेती को नई दिशा दी है।

दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतनेट परियोजना के तहत



का व्यवसाय स्थापित किया। इसके साथ-साथ 2025-26 के दौरान 6,576 अनुसूचित जनजाति युवाओं ने रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण करवाया है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से 3,234 महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। इसके साथ ही पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिमाह 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली है।

राज्य के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार स्पीति घाटी के काजा में हिमाचल दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों तक शासन की पहुंच को सुनिश्चित किया गया और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया।

जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के लिए शिक्षकों के लिए आवासीय परिसर, सिविल अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, सम्मेलन-सह-पुस्तकालय भवन, जनजातीय संग्रहालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रावास तथा लदारचा पर्यटन पार्क एवं कॉम्प्लेक्स जैसी अनेक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन परियोजनाओं से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिल रही है।

सरकार जनजातीय क्षेत्रों में सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रही है। होम-स्टे स्थापित करने, उनका विस्तार करने अथवा उन्नयन के लिए पांच करोड़ रुपये तक के निवेश पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी प्रकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप

3,793 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है, जिससे 705 ग्राम पंचायतें डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। इससे ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और बैंकिंग सेवाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 10 जिलों के 270 गांवों का चयन किया गया है। 17 मंत्रालयों द्वारा 25 विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से इन गांवों में समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर घर नल से जल, भारतनेट कनेक्टिविटी, एलपीजी गैस की पहुंच तथा विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है।

राज्य सरकार विकास के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को भी समान महत्व दे रही है। जनजातीय संग्रहालयों, सामुदायिक पुस्तकालयों और सांस्कृतिक अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जलागम प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने यह साबित किया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवेदनशील प्रशासन और दूरदर्शी योजनाओं के माध्यम से विकास की रोशनी प्रदेश के दुर्गम गांवों तक पहुंचाई जा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत ढांचे, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और सतत आजीविका के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश से जनजातीय समुदायों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। प्रदेश सरकार उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा दे रही है। जनजातीय विकास का हिमाचली मॉडल देश के सामने एक प्रेरक उदाहरण स्थापित कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त डीएम एमसीएच तथा डीआरएनबी योग्यता प्राप्त सुपर-स्पेशियलिटी संकाय सदस्यों को न-प्रेक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की। संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये के स्थान पर 65,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा।

बैठक में शिक्षक पुरस्कार नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार में उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकृति दी गई। अब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 60,000 के स्थान पर 1.50 लाख रुपये जबकि राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 40,000 के स्थान पर एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिए जाने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में नंबरदारों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि कर 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को प्रथम अप्रैल, 2026 से 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम आरंभ करने को स्वीकृति दी। दोनों संस्थानों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी (पीजी/एसएस) नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधित नीति के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के उपरांत जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स (जीडीओ) तथा डाइरेक्ट अभ्यर्थी यदि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (एआईएमएसएस), चमियाना में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अथवा आईजीएमसी, शिमला को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में रेडियोडायग्नोसिस विशेषज्ञता में सेवाएं देते हैं, तो उन्हें अनिवार्य फील्ड पोस्टिंग से छूट प्रदान की जाएगी। एआईएमएसएस, चमियाना

तथा अन्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में रेडियोडायग्नोसिस विशेषज्ञता के अंतर्गत दी गई सेवाओं को फील्ड पोस्टिंग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह व्यवस्था आगामी छह वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

बैठक में जिला हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 75 एकड़ की भूमि चिन्हित की जाएगी।



मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त, 2022 से 31 मार्च, 2026 के मध्य 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को वर्तमान निश्चित मासिक मानदेय के स्थान पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग के फील्ड जूनियर इंजीनियरों को वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियर लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग डिविजन नम्बर-2 को बिलासपुर से जिला बिलासपुर के जगातखाना स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

बैठक में सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य नई सड़क परियोजनाओं और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना की संभावनाओं में कमी लाना है।

मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 70 प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद एवं वितरण को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कास्ट नेट तथा गिल नेट सहित रियायती फिशिंग गियर उपकरणों के वितरण के लिए 90 प्रतिशत अनुदान वाली योजना को डीबीटी के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने फसलोपरांत अवसंरचना एवं कोल्ड चेन सुविधाओं के विकास का भी निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 20 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों (प्रत्येक 5 मीट्रिक टन क्षमता), 10 फ्रीज-ड्राई इकाइयों तथा 20 रेफ्रिजरेटेड वाहनों के लिए डीबीटी के माध्यम से 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत पात्र जलाशय मछुआरा परिवारों को वार्षिक रूप से मछली पकड़ने के प्रतिबंधित मौसम के दौरान 3,500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निजी डेवलपर के सहयोग से सार्वजनिक - निजी भागीदारी

मॉडल के तहत शिमला के विकासनगर में एक बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर विकसित करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, सिविल अस्पताल घवांडल तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना, शिमला में स्थापित किए जा रहे पांच क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरणों की खरीद एवं आपूर्ति को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मल्टी-टास्क वर्कर के 400 पद भरने का भी निर्णय लिया।

हमीरपुर जिला के नादौन में एक एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला के खरीड़ी (नादौन) स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला के रैत स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके सुचारु संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरा जाएगा।

बैठक में शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने संबंधित जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया।

नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस लाइनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 102 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन के खरीड़ी स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के सुचारु

संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर (पंचायत) के 6 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 9 पद तथा मल्टी-टास्क वर्कर के 20 पद भरने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला (आईजीएमसी) के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया, जबकि हमीरपुर, मंडी, चम्बा, नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में 5-5 पद सृजित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने तथा सहायक प्रोफेसर के 2 पदों के सृजन एवं भर्ती को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मत्स्य विभाग में पशु पालन अधिकारी के 6 पद और सब-इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया।

शिमला जिला के जुब्बल स्थित ठाकुर राम लाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में कोच के 4 पद और वार्डन का एक पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने और हमीरपुर जिला के नादौन उप-अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर के 4 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने योजना विभाग में योजना अधिकारी के 3 पद तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी के 3 पद भरने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पद भरने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अध्यक्ष के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति दी। साथ ही प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 2 सदस्य पद तथा इनके सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बड़सर पुलिस थाना के अंतर्गत गलोड़ पुलिस चौकी के लिए एक अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल पद सृजित करने का निर्णय लिया, जिससे वहां स्वीकृत पदों की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो जाएगी।

कुल्लू जिला के मनली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में स्की प्रशिक्षक तथा पर्वतारोहण प्रशिक्षक के 2-2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने सीबीएसई विद्यालयों से संबंधित विभिन्न मामलों के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी प्रदान की।

बैठक में हमीरपुर जिला के भरेड़ी स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल (वॉलीबॉल) के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

शिमला जिला के कोटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को स्तरोन्नत कर 10 बिस्तर क्षमता वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने राज्य के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार तथा एक-एक मल्टी-टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मियों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक के अंतर्गत आयु पात्रता मानदंड में संशोधन को मंजूरी देते हुए अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष यथावत रखने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की रोगी कल्याण समितियों को नैदानिक परीक्षणों एवं विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता व्यवस्था तथा आवश्यक रिएजेंट्स (रासायनिक अभिकर्मकों) की खरीद पर व्यय करने का अधिकार प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के बड़ोह में एक अग्निशमन चौकी (फायर पोस्ट) स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध करवाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने वार जागीर अनुदान की राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने लापता बच्चों से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए पुलिस थानों में विधिक स्वयंसेवकों (लीगल वोलेंटियर्स) की इमपैनलमेंट को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता को 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने को भी स्वीकृति दी।

बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की जलापूर्ति, सिंचाई तथा सीवरेज पंपिंग योजनाओं में ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल को अपनाने को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जाठिया देवी माउटेन सिटी, शिमला हिल्स के विकास के लिए अनुमति प्रदान की।

प्रदेश के संतुलित विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सोलन जिले समावेशी विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और



राम कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न मांगें रखीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के संतुलित और

शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं और इन क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में बढ़ी में एसडीएम कार्यालय, 100 बिस्तरों वाले अस्पताल और लोक

निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंडल की स्थापना की जा रही है, जिससे लोगों को बेहतर प्रशासनिक और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्र के तीन सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

विधायक राम कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में सात नए सरकारी कार्यालय खोले गए हैं और सरकार ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने स्टैडियम निर्माण और सड़क विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग भी रखी तथा मुख्यमंत्री को दून क्षेत्र के दौरे का निमंत्रण दिया।

प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शीघ्र, चार नए ई-डिपो शुरू होंगे: मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए

राज्य पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के निदेशक मंडल की 163वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चरणबद्ध तरीके से शामिल



सभी आवश्यक औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं। साथ ही प्रदेश में चार नए ई-डिपो भी शीघ्र शुरू किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश

की जा रही 297 इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल और संचालन की तैयारियों की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन को

आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

बैठक में मुकेश अग्निहोत्री ने बसों में टायर और स्पेयर पार्ट्स की कमी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी बस का संचालन टायर, स्पेयर पार्ट्स या अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव में प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने समय पर खरीद और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों और ई-डिपो के शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित तथा सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी। बैठक में एचआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारी और निदेशक मंडल के सदस्य भी उपस्थित रहे।

अक्टूबर में होगा एक जिला-तीन उत्पाद मेगा आयोजन, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार एक जिला-तीन उत्पाद (ओडीटीपी) कार्यक्रम के तहत राज्य के 36 चयनित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अक्टूबर 2026 में एक मेगा प्रदर्शनी और रिवर्स बायर-सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा।

सरकार ने प्रदेश के सभी 12 जिलों से तीन-तीन प्रमुख उत्पादों का चयन किया है। इनमें कांगड़ा चाय, कुल्लू टोपी, किन्नौर शॉल, चंबा चप्पल, ट्राउट मछली, मशरूम, सेब आधारित उत्पाद, लीची और ट्रैगन फ्रूट सहित कुल 36 उत्पाद शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि इस आयोजन में उत्पादकों, निर्यातकों, निवेशकों, खुदरा विक्रेताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों को नए खरीदार मिलेंगे, व्यापारिक साझेदारियां बढ़ेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में इन चयनित उत्पादों से जुड़े उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके तहत भूमि पर रियायत, स्टाम्प शुल्क में छूट, रियायती बिजली, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार इन उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उत्पादकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के

हिमाचल में जनगणना का पहला चरण पूरा, 15 जुलाई को हुआ संपन्न

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शामिल थी, 15 जुलाई को सफलतापूर्वक पूरा हो गया। यह अभियान 16 जून से शुरू हुआ था।

जनगणना कार्य निदेशालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस बार अभियान में डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) सुविधा का उपयोग करते हुए अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अभियान की सफलता में उपायुक्तों, नगर निगम

साथ-साथ उन्हें व्यापार मेलों और बायर-सेलर मीट में भाग लेने में भी सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि एक जिला-तीन उत्पाद कार्यक्रम से स्थानीय पारंपरिक उत्पादों को नई पहचान मिलेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं तथा महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

आयुक्तों, तहसीलदारों, जनगणना अधिकारियों, प्रशिक्षकों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे समर्पण के साथ कार्य किया।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में भी फील्ड स्टाफ ने घर-घर जाकर सही जानकारी एकत्र की और अभियान को सफल बनाया।

जनगणना कार्य निदेशालय ने इस राष्ट्रीय अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों, फील्ड स्टाफ और मीडिया का आभार व्यक्त किया।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया है। इन पदों का विज्ञापन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 जुलाई 2026 को जारी किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक या भौगोलिक कारण किसी भी योग्य युवा की सफलता में बाधा नहीं बनने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी सशस्त्र पुलिस वाहिनियों में इच्छुक

अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं। इसमें लिखित परीक्षा की तैयारी, शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए लाभदायक होगी, जहां कोचिंग की सुविधाएं सीमित हैं। इससे अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को पुलिस भर्ती में सफल होने का अवसर मिलेगा।

पुलिस विभाग जल्द ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियां, स्थान और पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी जारी करेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखने की अपील की गई है।

हिमाचल में पीजी मेडिकल सीटें 277 से बढ़ाकर 597 करने का प्रस्ताव

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़ाकर 597 करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रदेश में एक साथ पीजी सीटों में अब तक का सबसे बड़ा प्रस्तावित विस्तार है।

सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के छात्रों को राज्य में ही पीजी करने के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

प्रस्ताव के अनुसार आईजीएमसी शिमला में पीजी सीटें 139 से 230, टांडा मेडिकल कॉलेज में 99 से 156, मंडी में 24 से 79, नाहन में 3 से 35, चंबा में 4 से 32 और हमीरपुर में 8

से 65 करने का प्रस्ताव है।

सरकार ने पिछले तीन वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 218 नए सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञ पद भी सृजित किए हैं, ताकि बढ़ने वाली पीजी सीटों के अनुसार शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि पीजी सीटों में वृद्धि से प्रदेश में अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार होंगे और लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक भवन, उन्नत जांच सुविधाएं और बेहतर शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने पर लगातार काम कर रही है।

बागा अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के 284 संविदा श्रमिकों को मिलेगा 15 करोड़ रुपये का लाभ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स प्लांट के संविदा श्रमिकों से जुड़े औद्योगिक विवाद का समाधान हो गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के प्रयासों से प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच 10 जुलाई 2026 को समझौता हुआ।

इस समझौते से प्लांट में कार्यरत 284 संविदा श्रमिकों को अगले पांच वर्षों में लगभग 15 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलने का अनुमान है।

समझौते के तहत पहले वर्ष में श्रमिकों के वेतन में 6,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा पदोन्नति नीति, ऊनी जैकेट

की सुविधा और वैधानिक बोनस का समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे श्रमिकों की सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा।

सुलह प्रक्रिया के दौरान प्रबंधन को श्रमिकों के कल्याण और श्रम कानूनों के पालन के प्रति अपने दायित्वों से अवगत कराया गया। प्रबंधन ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने का भरोसा दिया।

यह समझौता अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स प्लांट प्रबंधन, लाल झंडा सीमेंट प्लांट वर्क्स यूनियन (सीआईटीयू) और अल्ट्राटेक सीमेंट कामगार संघ (बीएमएस) के प्रतिनिधियों के सहयोग से संपन्न हुआ।

22 जुलाई को शिमला में आयकर रिटर्न भरने पर जागरूकता कार्यक्रम

शिमला/शैल। आयकर विभाग 22 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रेलवे बोर्ड भवन, शिमला के सम्मेलन कक्ष में करदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) सही तरीके से और समय पर भरने की जानकारी दी जाएगी।

कार्यक्रम में सभी आईटीआर फर्म का चयन, टैक्स रिजिम का चुनाव,

ई-फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, आयकर कानूनों में हुए नए बदलाव और देर से या गलत रिटर्न भरने के नुकसान के बारे में बताया जाएगा। अंत में प्रश्नोत्तरी सत्र भी होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त आयकर आयुक्त केशव किशोर आनंद करेंगे, जबकि तकनीकी सत्र का संचालन उप आयकर आयुक्त डॉ. शिखा शर्मा करेंगी। कार्यक्रम में सभी करदाता निःशुल्क भाग ले सकते हैं।

हिमाचल में कचरा और सीवेज प्रबंधन की खुली पोल एनजीटी ने सरकार को 32 मोर्चों पर लगाई फटकार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कचरा और सीवेज के प्रबंधन को लेकर एनजीटी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। एनजीटी ने साफ कहा है कि राज्य में ठोस कचरे और सीवेज के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था अभी भी गंभीर रूप से कमजोर है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि नदियां, खड्डें और भू-जल भी प्रदूषित हो रहे हैं। इसी कारण एनजीटी ने राज्य सरकार, शहरी विकास विभाग, जल शक्ति विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी स्थानीय निकायों को 32 बिंदुओं पर समयबद्ध कारवाई के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी के सामने पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से हर दिन लगभग 420.82 टन ठोस कचरा निकलता है। हालांकि अधिकांश कचरा एकत्र किया जा रहा है, लेकिन करीब 20.48 टन कचरा आज भी लोगों के घरों और बाजारों से नहीं उठाया जा रहा है। यह कचरा खुले स्थानों, नालों और खाली जमीन पर पड़ा रहता है, जिससे गंदगी और प्रदूषण फैलता है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि करीब 20.87 टन कचरे का निस्तारण अब भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रहा। इसे अस्थायी डंपिंग स्थलों पर फेंक दिया जाता है, जहां न तो उसका सही उपचार होता है और न ही पर्यावरण सुरक्षा के मानकों का पालन किया जाता है। बरसात के दौरान ऐसे डंपिंग स्थलों से निकलने वाला दूषित पानी आसपास की जमीन और जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है।

सबसे गंभीर चिंता सीवेज प्रबंधन को लेकर जताई गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन 159.12 मिलियन लीटर गंदा पानी निकलता है, लेकिन उपचार संयंत्रों में केवल 88.29 मिलियन लीटर सीवेज का ही शोधन हो रहा है। इसका मतलब है कि करीब 71 मिलियन लीटर, यानी लगभग 45 प्रतिशत गंदा

पानी बिना किसी उपचार के सीधे नदियों, खड्डों और अन्य जल स्रोतों में पहुंच रहा है।

हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में, जहां अधिकांश पेयजल स्रोत प्राकृतिक जलधाराओं पर निर्भर हैं, यह स्थिति और भी गंभीर मानी जा रही है। एनजीटी ने कहा कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा।

एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी शहरों और कस्बों में घर-घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। हर स्तर पर गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था लागू की जाए ताकि रीसाइक्लिंग और खाद बनाने की प्रक्रिया बेहतर हो सके।

एनजीटी ने पुराने डंपिंग स्थलों पर वर्षों से जमा लीगेसी वेस्ट को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश भी दिए हैं। कई स्थानों पर वर्षों से जमा हजारों टन कचरा पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। इसे वैज्ञानिक तरीके से साफ कर जमीन को दोबारा उपयोग योग्य बनाने के लिए कहा गया है।

अधिकरण ने यह भी निर्देश दिए कि सभी शहरी निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, कंपोस्ट प्लांट और आधुनिक कचरा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाए। जहां संभव हो वहां बायो-सीएनजी और वेस्ट-टू-एनर्जी जैसी परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि कचरे को संसाधन में बदला जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर भी एनजीटी ने चिंता जताई। अधिकरण ने सरकार को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग और प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन योजना तैयार की जाए। पंचायतों में भी कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था विकसित करने के लिए कहा गया है।

सीवेज प्रबंधन में सुधार के लिए एनजीटी ने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने, पुराने संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने और जहां

सीवर नेटवर्क नहीं है वहां जल्द पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपचारित पानी का सिंचाई और अन्य कार्यों में दोबारा उपयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

अधिकरण ने सभी स्थानीय निकायों को खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने, प्लास्टिक कचरे के बेहतर प्रबंधन, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कचरे के अलग निस्तारण, इलेक्ट्रॉनिक कचरे और जैव-चिकित्सा कचरे के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

इसके अलावा जिला प्रशासन को प्रत्येक नगर निकाय में कचरा प्रबंधन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने, वर्षा जल निकासी नालों के किनारे पौधारोपण करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी सीवेज संयंत्रों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले

निकायों और एजेंसियों के खिलाफ कारवाई करने को भी कहा गया है।

एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा। सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर कारवाई कर उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अधिकरण ने संकेत दिए हैं कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल

प्रदेश पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। यदि कचरा और सीवेज प्रबंधन में सुधार नहीं हुआ तो राज्य की नदियों, जंगलों, पर्यटन स्थलों और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा। एनजीटी ने अब राज्य सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण के मामलों में लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और अगली सुनवाई में सभी 32 निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी।

CM की पत्नी के चुनावी प्रतिद्वंद्वी

की चर्चा भी समय-समय पर होती रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस मुद्दे पर किस तरह की राजनीतिक रणनीति अपनाती है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले को किस स्वर में उठाता है।

फिलहाल इतना तय है कि

देहरा की चुनावी प्रतिद्वंद्विता अब अदालत, जांच एजेंसियों और राजनीतिक मंचों तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा, होशियार सिंह का पक्ष और भाजपा की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम की राजनीतिक तस्वीर को और स्पष्ट करेगे।

जंतर-मंतर से उठी चिंगारी से

की समस्याओं का समाधान करने के बजाये पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। संसद के भीतर भी विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और सरकार से जवाब मांगा।

हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष भी इस आंदोलन को केवल जनहित के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि सरकार को घेरने के प्रभावी हथियार के रूप में देख रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं की जंतर-मंतर पर लगातार मौजूदगी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष युवाओं की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।

इस आंदोलन ने जनता को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और सामाजिक संगठन प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि युवाओं को समय पर रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया नहीं मिलेगी तो उनका

आक्रोश स्वाभाविक है। वहीं समाज का एक वर्ग यह भी मानता है कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संसद और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

सोशल मीडिया पर भी आंदोलन को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक ओर सरकार के समर्थन में अभियान चल रहे हैं तो दूसरी ओर आंदोलनकारियों के समर्थन में लाखों पोस्ट साझा की जा रही हैं। इससे साफ है कि यह मुद्दा अब केवल दिल्ली का नहीं, बल्कि पूरे देश की चर्चा का विषय बन चुका है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर संसद की कार्यवाही पर पड़ेगा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगा रही है। ऐसे में वास्तविक मुद्दे-युवाओं की समस्याएं, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और रोजगार-सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच दबते हुए भी

दिखाई दे रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन केवल कुछ दिनों का विरोध बनकर रह जाएगा या फिर सरकार को नीतिगत बदलाव करने के लिए मजबूर करेगा। फिलहाल जंतर-मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, सरकार अपने रुख पर कायम है और विपक्ष इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने में जुटा है।

स्पष्ट है कि जंतर-मंतर का यह आंदोलन अब केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की राजनीति की नई परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि सरकार संवाद का रास्ता चुनती है या टकराव का, विपक्ष जनहित की राजनीति करता है या केवल सियासी अवसर तलाशता है, और सबसे महत्वपूर्ण-क्या देश के युवाओं की आवाज वास्तव में नीति निर्माण तक पहुंच पाती है या फिर यह मुद्दा भी राजनीतिक शोर में दबकर रह जाता है।